Helpline **1064** **94135-02834**

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **बांसवाड़ा में कानिस्टेबल 5 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *07 जून।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की बांसवाड़ा इकाई द्वारा आज सोमवार को पुलिस थाना पाटन, जिला बांसवाड़ा में कार्यवाही करते हुये कानिस्टेबल लालशंकर को परिवादी से 5 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. बांसवाड़ा इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके विरूद्ध रिपोर्ट में कोई कार्यवाही नहीं करने की एवज में कानिस्टेबल लालशंकर द्वारा स्वयं के लिये 10 हजार एवं थानाधिकारी, सुभाष परमार उपनिरीक्षक के लिये 25 हजार रूपये रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की बांसवाड़ा इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री माधोसिंह** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये लालशंकर पुत्र श्री मावजी कटारा निवासी पछौरापाड़ा, पुलिस थाना अरथुना, जिला बांसवाड़ा हाल कानिस्टेबल पुलिस थाना पाटन, जिला बांसवाड़ा को परिवादी से 5 हजार रुपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया। थानाधिकारी, पुलिस थाना पाटन सुभाष परमार उपनिरीक्षक एसीबी कार्यवाही की भनक लगने पर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।